न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी- मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/208

1. जसवन्त पुत्र गेन्दिया जाति धाकड़
2. मुकेश पुत्र गेन्दिया जाति धाकड़
3. महेन्द्र पुत्र गेन्दिया जाति धाकड़

निवासीगण ग्राम प्रेमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

– अपीलांटगण

बनाम

1. कलावती बाई पत्नी स्वर्गीय मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :- बहस 1. श्री जगदीश [illegible], अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 30.01.2026**

1. अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 89/2021 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीया कलावती बाई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम प्रेमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के शामलाती खाते की खसरा सख्या 292 रकबा 1.06 हैक्टेयर भूमि दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त भूमि से वादीया 3/20 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 का 11/60 व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है जिस पर वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी शामलाती खाते में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादीया के कब्जे

[illegible]

काश्त में व्यवधान पैदा करते है। इस कारण वादीया ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि का विभाजन करने को दिनांक 27.09.2022 को कहा तो प्रतिवादीगण ने विभाजन करने से इन्कार कर दिया। उपरोक्त परिस्थितियों में वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा कड़ता लगान जमा करने में विवाद करने व वादीया को विभाजन कराने से दिनांक 27.09.2022 को इन्कार करने पर पैदा हुआ है। अन्त में वादग्रस्त आराजी का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादीया के हिस्से 3/20 की भूमि को वादीया के अलग खाते दर्ज किए जाने एवं अलग से लगान कायम किए जाने एवं वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत पैदा नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को पाबन्द किए जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2025 को वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की बिना जानकारी के आदेश/डिक्री पारित की गई जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.06.2025 को अप्रार्थीया द्वारा कब्जे

डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।

में हस्तक्षेप करने पर रिकॉर्ड देखने पर हुई। तब नकल का आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब सद्भाविक एवं क्षमा किए जाने योग्य है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारान नियम 18 से 21 की पालना किए बिना ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि ग्राम प्रेमपुरा की खसरा संख्या 292 की आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त है, रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है और ना ही इस बाबत रिपोर्ट तैयार की गई है। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में व अपीलांट की बिना जानकारी के तैयार की गई है। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की सहमति के बिना एवं बिना राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलांट संख्या 1 का उक्त आराजी से कोई सम्बंध नहीं है। अपीलांट संख्या 1 को अन्य आराजी प्राप्त हुई है किन्तु फिर भी संशोधित डिक्री में खसरा संख्या 292 की आराजी में से हिस्सा दिये जाने की डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है। अन्त में अपील अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2024 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी का विभाजन किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2025 में किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम अथवा अधिक दर्ज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए

निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

हमारे मत में सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। हमारे मत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम प्रेमपुरा की खसरा संख्या 292 रकबा 1.05 हैक्टेयर भूमि का वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किए जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की अनुपस्थिति में तथा अपीलांट को सूचित किए बिना ही तैयार किया गया है तथा अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना ही वादग्रस्त आराजी के विभाजन की निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2025 पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.02.2024 मे विभाजन प्रस्ताव तलब किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.10.2024 में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री पारित किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत कोई आदेश अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत कोई आपत्ति प्रार्थना–पत्र भी संलग्न नहीं है। अतः अपीलांट का यह कथन सही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विभाजन

प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.09.2023 पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर अंकित है तथा तहसीलदार दीगोद के काउंटर हस्ताक्षर अंकित है। अतः प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने के दौरान स्वयं तहसीलदार मोके पर उपस्थित नहीं हुए। प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया जाकर केवल हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया हैं विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को जारी किसी प्रकार के नोटिस अथवा सूचना पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः अपीलांट का यह कथन सही है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.09.2023 अपीलांट को सूचित किए बिना तैयार किए जाने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किए जाने के कारण त्रुटिपूर्ण है। विभाजन प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना ही उक्त त्रुटिपूर्ण विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2024 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान की सहमति के बिना एवं राजीनामे के बिना ही प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प के तहत संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2025 पारित की गई है। प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत उन्हीं प्रकरणो का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत है जिनमें उभयपक्षकारान की ओर से लिखित राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत होता हो। अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षकारान की ओर से कोई राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत नहीं किया गया इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2025 पारित की गई है जो प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कोर्ट की भावना के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में अपीलांट एवं अन्य सभी पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाना आवश्यक है। साथ ही विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रस्तुत की गई आपत्तियों का विधि अनुसार निस्तारण करते हुए, राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 89/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2024 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2025 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं अन्य सभी पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करें तथा प्रस्तुत की गई आपत्तियों का विधि अनुसार निस्तारण करने के उपरांत राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.03.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/26

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील अधिकारी, कोटा